01/2015

संख्या–आरएफ. 344/नौ–9–2015–40आर.एफ/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,दरियाबाद,
जनपद–बाराबंकी।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ : दिनॉक 16 अप्रैल, 2015

विषय–'वित्तीय वर्ष 2015–16 में नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधॉओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में नया सवेरा नगर विकास योजना में प्राविधानित धनराशि से नगर पंचायत, दरियाबाद, जनपद–बाराबंकी द्वारा संलग्न सूची में अंकित कार्य योजना हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन कुल लागत रू0 4,95,74,000/–(रूपये चार करोड़ पच्चान्नबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि **रू0 2,47,87,000/–(रूपये दो करोड़ सैंतालिस लाख सत्तासी हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)– यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)– स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3)– योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के निमित्त कोई सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। उक्त कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(5)– प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6)– धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश दिनांक 19.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)– स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।

(9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् **"नया सवेरा नगर विकास योजना"** का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। **कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।**

(11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निकाय द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/ वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के **लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज– आयोजनागत– 02–मल–जल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या– आरएफ.344 (1)/नौ–9–2015 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,बाराबंकी।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष,सम्बन्धित नगर पंचायत।
8. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–आरएफ.344/नौ–9–2015–40आरएफ./15, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

निकाय का नाम	कार्य/मद का नाम	प्रॉक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
नगर पंचायत, दरियाबाद, जनपद–बाराबंकी	1.मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 75 वाट फ्लड लाईट एल.ई.डी.हाईमास्क 15 अदद,पोल 200 अदद, 52 वाट एल.ई.डी.स्ट्रीट लाइट 600 अदद,25 स्क्वायर एम0एम0सिंगल कोर केबिल 15000 मीटर, जलापूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 जनरेटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठान का कार्य।	172.96		
	2.ट्रैक्टर 42 हार्सपावर 02 अदद।	12.06		
	3. मोबाइल ट्वायलेट वैन 06 सीटर का कय।	10.44		
	4. 05 अदद पानी का टैंकर(स्टील)	22.35		
	5. सफाई व्यवस्था हेतु स्किड स्टीयर लोडर विद 06–इन–01 बकेट 47.5 एच0पी0 कपेसिटी कूड़ा उठाने हेतु।	22.00		
	6. हाईड्रोलिक ट्राली 03 अदद का कय।	10.41		
	7. वार्ड मोहरियान में जलकल कम्पाण्ड में इण्टरलाकिंग का कार्य।	16.60		
	8.वार्ड चौधरियान पूर्वी में मेन रोड से दाना शाह बाबा मजार परिसर में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.76		
	9.वार्ड बन्ने तले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से शाकिर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.39		
	10. वार्ड मिर्दहान दक्षिणी में मोहन के घर से दर्शन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.57		
	11. वार्ड मिर्दहान उत्तरी में निजाम हुसैन के घर से मोहब्बत अली व रफीकुन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.61		
	12. वार्ड मिर्दहान उत्तरी में निसार के घर से हाजी रईस से हसबी व सरफराज के घर से फैयाज के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.30		
	13. वार्ड छीपी में ताज मो0 की दुकान से राधे लाल से ज्ञानेश शर्मा से हसीब के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.76		
	14. वार्ड मिर्दहान दक्षिणी में ननकऊ के घर से शहरनजर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.61		
	15. वार्ड चौधरियान पूर्वी में नंगा रावत के घर से रामआधार के घर से किशन लाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.72		
	16. वार्ड चौधरियान पूर्वी में गुड्डू के घर से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण कार्य।	4.81		

	17. वार्ड चौधरियान पूर्वी में काजी मेराज मुस्तफा की दुकान से इजलाल नेता तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.43			
	18. वार्ड चौधरियान पूर्वी में सुबराती मनिहार से फरीद तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.81			
	19.. वार्ड चौधरियान पूर्वी में मुनीर के प्लाट से रामकुमार एडवोकेट तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.41			
	20. वार्ड चौधरियान पूर्वी में रसीद आरा मशीन से बुटान तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.83			
	21. वार्ड चौधरियान पूर्वी में लक्ष्मीकान्त से मोल्हे व विश्राम के घर से महेश व सुरेश लोध तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण।	20.13			
	22. वार्ड चौधरियान पूर्वी में इस्माईल गद्दी के घर से मो0खादिम तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.64			
	23. वार्ड चौधरियान पूर्वी में जल्ले कुरैशी से लल्लन दर्जी तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण।	4.61			
	24. वार्ड चौधरियान पूर्वी में मिट्ठू तेली से रजा हलवाई तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.75			
	25. वार्ड चौधरियान पूर्वी में हाजी कलीम प्लाट से जीमल हलवाई तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.83			
	26. वार्ड चौधरियान पूर्वी में शानू दर्जी से शकील मियां से सुबूर किदवई से गुलजार के घर तक टिकैतनगर से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.75			
	27. वार्ड बन्ने तले में जामा मस्जिद परिसर में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.74			
	28. मोहल्ला कटरा में हाजी कस्ताम से सलीम की दुकान सफदरगंज से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.73			
	29. मोहल्ला कटरा में रोशन के प्लाट से जमील वेल्डिंग तक सफदरगंज से दरियाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	4.69			
	30. मोहल्ला कटरा में लाल मोहम्मद से नईम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.54			
	31. मोहल्ला सरावगी में सुनील जैन से अमृत लाल जैन से निर्मल जैन व उमेश चन्द्र जैन से भानू कुमार जैन से जैन मंदिर व सहाय शंकर नाग से लक्ष्मी नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.93			

	32. वार्ड पठखानी में शैलेश अवस्थी से प्रताप जायसवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.66		
	33. वार्ड खिन्नी तले में हारून के घर से सुलेमान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.10		
	34. वार्ड खिन्नी तले में अफजल अन्सारी बेकरी से डा0श्रीवास्तव से मुरारी बाजपेई से मिष्ठान से मतीन अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22.26		
	35. वार्ड खिन्नी तले में हारून से उदय से हसीब के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.63		
	36. वार्ड खिन्नी तले में हारून से उदय से हसीब के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.34		
	37. वार्ड खिन्नी तले में राजकुमार से रविशंकर पाठक व रामसुमिश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.05		
	38. वार्ड बरवारी में हारून से राजू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.90		
	39. वार्ड बरवारी में मो0जब्बार से नौमान से प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.02		
	40. वार्ड बरवारी में दुबरी के प्लाट से सना मोहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण।	3.01		
	41. वार्ड बरवारी में कल्लू के घर से फकीर मोहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण।	3.07		
	42. वार्ड बरवारी में ताहिर से रामकुमार गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.53		
	योग	**495.74**	**495.74**	**247.87**

(रूपये दो करोड़ सैंतालिस लाख सत्तासी हजार मात्र)

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन